

# केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ. कानपुर

## KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR

दिनांक : 24-05-2019

### सूचना

#### सत्र 2019-20 मे कक्षा - 11 (विज्ञान) में गैर केवी विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए सूचना

1. कक्षा -11 (विज्ञान वर्ग) मे सीमित रिक्तियों पर गैर केवी विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रपत्र दिनांक **27 मई 2019** से **05 जून 2019** प्रातः 10 बजे से अपराहन 01 बजे तक निशुल्क प्राप्तकर एवं विधिवत भरकर जमा किए जा सकते हैं।
2. सभी प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश निर्देशिका 2019-20 के अनुसार प्रवेश प्राप्तांकों के आधार पर (न्यूनतम कुल प्राप्तांक 60%, सेवा-प्राथमिकता श्रेणी के अनुक्रम में ही दिये जाएँगे।
3. अनंतिम रूप से प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची दिनांक **07-06-2019** को जारी की जाएगी एवं संबन्धित विद्यार्थियों को दिनांक **17-06-2019** तक देय शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) कर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।
4. विस्तृत जानकारी हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in) पर लॉग-इन करें।
5. पंजीकरण मात्र से किसी विद्यार्थी को प्रवेश का अधिकार नहीं होगा।
6. अधूरे अथवा गलत पंजीकरण प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. पंजीकरण प्रपत्र के साथ आवश्यकतानुसार निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।

- I. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
  - II. अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रति
  - III. प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र (गैर सीबीएसई छात्रों के लिए)
  - IV. निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनेक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  - V. विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (इंटरनेट कॉपी)
  - VI. एकल पुत्री प्रमाण पत्र, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा प्रमाणित
  - VII. विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
  - VIII. विद्यार्थी का आधार कार्ड
  - IX. अभिभावक का ईमेल
  - X. विभाग द्वारा जारी नवीनतम सेवा प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
  - XI. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र, आदि
8. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रूप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाने, जैसी स्थिति में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

आज्ञा से  
प्राचार्य